International Journal of Applied Research 2016; 2(3): 449-454

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(3): 449-454
www.allresearchjournal.com
Received: 24-01-2016
Accepted: 26-02-2016

डॉ. भानुप्रताप सिंह
व्याख्याता इन्सट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

विकास सेलेकर
सहायक प्राध्यापक, चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज धार रोड, इन्दौर (म.प्र.)

Correspondence
विकास सेलेकर
सहायक प्राध्यापक, चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज धार रोड, इन्दौर (म.प्र.)

प्रधानमंत्री जन–धन योजना का समाज के गरीब वर्गों (तबकों) के आर्थिक उत्थान में योगदान (इन्दौर शहर के संदर्भ में)

डॉ. भानुप्रताप सिंह, विकास सेलेकर

सार
भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कई वर्षो से वित्तीय समावेशन की राह में जबरदस्त मुहिम चलाने की कोशिश की गई, जिस पर कई विलक्षण व्यक्तियों के विचार और सैंकडों करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ लेकिन जन–धन योजना शुरु होते ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री जन–धन योजना भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना हैं। जहा एक तरफ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इस योजना को औपचारिक रुप से लागू किया गया। वही मध्य–प्रदेश में जन–धन योजना के साथ अन्य सरकारी योजनाओं को भी जोड़ा गया। इसी दिन मध्य–प्रदेश में जन–धन योजना का समग्र नाम से अपनी अलग पहचान के साथ सभी बैंक खातों को जोड़ दिया हैं। यह आधार कार्ड से अलग होगी। प्रधानमंत्री जन–धन योजना की सहायता से सरकार ने आम–आदमी तक बैंकिंग सुविधा को सरल और सुलभ रुप से पहुँचाया हैं। जहा बैंकों में सिर्फ मध्यम और उच्च स्तरी परिवारों के खाते होते हैं। वही सरकार की इस योजना से गरीब वर्गों के परिवारों के भी भारतीय अर्थ व्यवस्था से जोड़ा गया हैं। निष्कर्ष रुप में यह प्रधानमंत्री जन–धन योजना गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ पहल हैं। इस योजना में आरंभिक त्रुटियाँ अधिक हैं। जन–जाग्रति का अभाव हैं। इन्दौर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में यह योजना अपने लक्ष्य को पूर्ण रुप से प्राप्त न कर सकी। इस कारण स्पष्ट हैं, कि शासन योजना लागू कर उसे जमीनी मूर्त देने में सफल न हो सका। गरीबों को दैनिक आवश्यकताओं के उपरांत बची राशि को जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए खाते में लेन–देनों के साथ हो राशि जमाकर्ताओं की नियुक्ति की जाएं जो स्थायी स्थानों से नियमित धनराशि एकत्र कर बैंकों में जमा कर सके। इन्दौर में जितने भी बैंक खाते प्रधानमंत्री जन–धन योजना में खोले गये हैं, इन्हें उचित मार्गदर्शन के साथ नियमित संचालन की पहली आवष्कता हैं।

खोजशब्द : वित्तीय समावेशन, बैंक, गरीब वर्ग, सरकारी योजनाएं, इन्दौर जिलें के आधार पर

प्रस्तावना
भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कई वर्षो से वित्तीय समावेशन की राह में जबरदस्त मुहिम चलाने की कोशिश की गई, जिस पर कई विलक्षण व्यक्तियों के विचार और सैंकडों करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ लेकिन जन–धन योजना शुरु होते ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के समाज के गरीब वर्गों में आर्थिक रुप से सुधार लाना हैं। आर्थिक रुप से पिछड़े लोग बैंक खाता खुलवाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे गरीब परिवारों को बैंकिग सुविधाओं से जोड़ना हैं। सार्वजनिक बैंक में खाता खुलवाने के लिए कम से कम शुरुआत में 500/– से 1000/–रुपये तक जमा करवाने होते हैं। तथा प्राईवेट बैंको में खाता खुलवाने के लिए कम से कम 5,000/– से 10,000/– रुपये तक जमा करवाने होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी राशि गरीब वर्गों के परिवारो के पास नहीं होती हैं, इसी कारण वे बैंको में खाता खुलवाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे गरीब वर्गों को शुन्य बैंलेंस पर खाता खोलने में मदद मिली तथा साथ ही उन्हें बचत करने की प्रेरणा ओर प्रोत्साहन भी मिला।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना को पूरे देश में 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी। इस योजना को औपचारिक रुप से 28 अगस्त 2014 को पुरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना को पूरे देश में दो चरणों में पूरा किया जायेगा पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2015 तथा दूसरा चरण 15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018 तक रखा गया हैं। इस योजना के तहत देश में 26 जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ लोगों के खाते खोले गयें। फरवरी 2015 तक 11.5 करोड लोगों

के खातें खोले गये हैं। पूरे देश में गरीब परिवारो में से 60 प्रतिशत लोगों के खाते खुल चुके हैं। जिसमें 51 प्रतिशत खाते महिलाओं के खुले हैं।

जहा एक तरफ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इस योजना को औपचारिक रुप से लागू किया गया। वही मध्य–प्रदेश में जन–धन योजना के साथ अन्य सरकारी योजनाओं को भी जोड़ा गया। इसी दिन मध्य–प्रदेश में जन–धन योजना का समग्र नाम से अपनी अलग पहचान के साथ सभी बैंक खातों को जोड़ दिया हैं। यह आधार कार्ड से अलग होगी।

राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा योजना के साथ श्रमिकों को अपना पारिश्रमिक मुआवजा या सरकार प्रायोजित अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए लम्बी लाईनों में खड़े होने की जरुरत नही होगी। समग्र से जुडा डेबिट कार्ड इस योजना को पूरा करेगा। इस योजना के आधार पर इन्दौर जिले में 2,00,000 लोगों के खातें खोलने गये हैं। तथा अभी–भी 30,000 खातें खुलने बाकी हैं। जो अभी–भी इस योजना से अछुते हैं।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना की सहायता से सरकार ने आम–आदमी तक बैंकिंग सुविधा को सरल और सुलभ रुप से पहुँचाया हैं। जहा बैंकों में सिर्फ मध्यम और उच्च स्तरी परिवारों के खाते होते हैं। वही सरकार की इस योजना से गरीब वर्गों के परिवारों के भी भारतीय अर्थ व्यवस्था से जोड़ा गया हैं।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खोले गये खाते के खाताधारकों को अन्य सुविधायें प्रदान की गई हैं।

1. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत 26 जनवरी 2015 तक जिन व्यक्तियों ने बैंक में खाते खुलवाये हैं। उन्हें 30,000 रुपये तक जीवन बीमा मुहैया कराया गया हैं।
2. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खोले गये बैंक खातों के खाताधारकों को 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा भी दिया गया, यह बीमा इस योजना के तहत सभी खाताधारकों मुफ्त दिया गया हैं।
3. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत जिन व्यक्तियों ने खाते खुलवाये हैं। उन खाताधारकों द्वारा लगातार 6 माह तक खाते से सही रुप में लेन–देन किया गया हैं। तो ऐसे खाताधारकों को 5000/– रुपये तक ऑवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी।
4. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये खातों के खाताधारकों को सीधे नकद अन्तरण की भी सुविधा प्रदान की गई, जिसे की किसी को भी लम्बी लाईनों में लगना नहीं होगा।
5. प्रधानमंत्री जन–धन योजना 2000 से अधिक आबादी वालें गावों में भी बैंकिंग का प्रावधान रखा गया हैं। जिससे की देश के सभी गरीब वर्गो के लोगों का भी खाता होगा।
6. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये बैंक खातों के खाताधारकों द्वारा एक वर्ष में 1,00,000 रुपये से अधिक राशि जमा नही किया जा सकता है। तथा Ru-Pay Debit Card के आधार पर एक माह में 10,000/– रुपये से अधिक राशि की निकासी नही की जा सकती हैं। और खातें का बैंलेन्स 50,000/– रुपये से ज्यादा नही किया जा सकता हैं।
7. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने से गरीब वर्गों को प्राप्त होने वाली गैंस सब्सिडी की राशि भी राज्य सरकार द्वारा सीधे खाताधारकों के खाते में हस्तांतरित की जा सकेगी।
8. इसके अतिरिक्त विधावा पेंशन, कैरोसिन सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सब्सिडी आदि सुविधाएं भी इस योजना के होने से आसानी से प्रदान की जा सकेगी।

इस योजना का उददेश्य समाज के गरीब वर्गों को वितीय सहायता देना तथा उनकी बचतो को सुनिश्चित दिशा दी गई साथ ही गरीब वर्गों को सरकार की योजनाओं से जाडना हैं।

शहरी वित्तीय समावेषन – 2011 की जनगणना के अनुसार 7.89 करोड़ शहरी आवास हैं, जिनमें से 5.34 करोड़ घरों में बैंकिग सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा था। 31 मार्च 2014 के अनुसार बैंकों की शहरों, तथा महानगरों में 71,120 शाखाओं तथा 1,36,721 ए.टी.एम. का नेटवर्क हैं। शहरों में भी जहा आवश्यक हैं, बैंक, बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) नियुक्त करेगें। शहरों में बैंकिंग सुविधा रहित घरों के वास्तविक आंकड़े वर्तमान में बैंकों के पास उपलब्ध नही हैं। लेकिन ये करीब 1.5 करोंड़ होने का अनुमान हैं। जिलों के शहरी केन्द्रों में अग्रणी जिला प्रबंधकों को सभी उपलब्ध बैंकों के साथ समनवय रखते हुए उथ्त केन्द्र के सभी परिवारों को इसमें शामिल करने की जिम्मेदारी दी हुई हैं।

लाभांवित वर्ग

प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता खोला जाना

प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता (मूल बचत बैंक जमा खाता, बीएसबीडीए शुन्य शेष के साथ) खोला जाना इस योजना का दूसरा स्तम्भ हैं जिससे सभी परिवारों में सभी वयस्क नागरिकों के लिए बेसिक बचत खाता बैंक में खोला जाएगा। पूर्व में वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया हैं कि सभी के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता खोल दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के प्राक्कलन के अनुसार मार्च 2014 तक 242 मिलियन बेसिक बचत खाते खोले गए।

जनगणना 2011 के प्राक्कलन के अनुसार देश में 24.67 करोंड परिवारों में से 14.48 करोड़ परिवार बैंकिंग सेवा से जुडे हुए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अनुमान के अनुसार 31.05. 2014 तक 9.17 करोड़ ग्रामीण परिवार बैंकों में खाता खोलने के लिए आवंटित किए गए थे जिनमें से 5.23 करोड़ परिवारों के बैंकों में खाता खोल दिए गए (बैंक–वार विवरण अनुलग्नक 5 में उल्लेखित हैं।) शेष 3.94 करोड़ ग्रामीण परिवार को पीएसबी द्वारा कवर किए जाने हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने 3.97 करोड़ जो उन्हें आवंटित थे में से 1.99 करोड़ परिवार अब उनके द्वारा कवर किये जाने हैं।

पीएसबी एवं आरआरबी को जोड लिया जाए तो 5.92 करोड़ ग्रामीण परिवार अब भी बैंकों में खाता खोलने से बचे हुए हैं। कुछ मामलों में फील्ड स्तर पर डाटा यह के फिमेल को ध्यान में रखते हुए लगभग 8.00 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब भी बैंक में खाता खोलने के लिए कवर करने की आवश्यकता हैं।

इसके साथ–साथ शहरी क्षेत्र में बैंक में बचत खाता न खोलने वाले परिवारों को खाता खुलवाना भी अपेक्षित हैं। प्राक्कलन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को बैंक में बचत खाता खोलने की आवश्यकता हैं।

यह देखा गया था, कि अधिकांश खोले गये खातों में पर्याप्त संख्या में लेन देन नहीं हुए थे, ये बैंक के लिए व्यवहार्य हो। इसका कारण यह था, कि ये खाते उचित लिंकेज के बिना खोले जा रहे थे। अब वर्तमान योजना में इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए छठा स्तंभ दृष्टिकोण अपनाया गया हैं। अब इस प्रकार के खातों को एटीएम से जोड़ा जाएगा ताकि वे अन्य लाभों से भी जुड़ने में सक्षम हों। अभियान के इस स्तंभ का दृष्टिकोण इस प्रकार होगा।

1.1 बचत खाता जीरो बकाया से खोला जाना (बीएसबीडीए) आसानी से बचत खाता खोलने के लिए बैंकों को सलाह दी जाएगी कि आसानी से बचत खाता खोलने के लिए बैंकों को

सलाह दी जाएगी, कि ''ई–ग्राहक को जानिए'' दृष्टिकोण को अपनाया जाए। वैसी शाखाऐं जिन्होंने इस सुविधा को अमल में नही लाया हैं, के द्वारा इस सुविधा को बी.सी. स्तर तक समाहित किया जाना चाहिए।

1.2 खाता खोलने में समय में कमी लाने के उद्देष्य से इस अभियान के अंतर्गत बचत खाता खोलने का एक पृष्ठ का फॉर्म तैयार किया गया हैं। (अनुलग्नक 8 में संलग्न हैं।) इस आधार पर सभी बैंक अपने खाता खोलने के फॉर्म में उचित संशोधन कर लेगे।

1.3 प्रत्येक बचत खाताधारक को एटीएम/डेबिट (रुपे) कार्ड प्रदान किया जाएगा। देश में प्राक्कलन के अनुसार 13.8 करोड़ कृषि भूमि धारक हैं अनमें से 10.2 करोड़ भूमिधारकों/कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। वर्तमान अभियान में यह प्रयास किया जाएगा। कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक को (रुपे) केसीसी कार्ड एवं गैर–कृषक को रुपे (डेबिट कार्ड) प्रदान किए जाएं। कार्ड में 1,00,000 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर समाहित होगा।

1.4 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से यह पता किया गया हैं कि जारी किए जा रहें रुपें कार्ड में किसी भी प्रकार के उत्पाद/परिचालन में कोई भी दबाव नही हैं। प्राक्कलन के अनुसार प्रतिदिन लगभग 1800 लाख निर्माण क्षमता हैं। उपलब्ध पर्सनलाइजेशन क्षमता भी 7.75 लाख प्रतिदिन हैं।

1.5 सहकारी/शहरी सहकारी बैंकों का वह नेटवर्क जो कि सीबीएस प्रणाली पर हैं को कवर न किए गए परिवारों के खाता खोलने हेतु प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

1.6 इस खाते को खाता धारकों के आधार नम्बर से जोड़ा जाएगा। जिससे खाते एकल बिन्दु प्राप्त सीधे लाभ अंतरण(डीबीटी)/केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से जुड जाए। वर्तमान में सीधे लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत एलपीजी/गैंस डिलीवरी पर रोक लगा दी गई हैं और इस योजना पर अध्ययन करने के लिए गठित बोर्ड समिति ने अपनी रिपार्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसे इस योजना में आ रही विसंगतियों को दूर किया जा सकता हैं।

1.7 खाता खोलने के दौरान आधार संख्या के लिए लाभार्थियों को नामांकित करने के लिए यूआईडीएआई के प्रयासों के साथ समेकन किया जाएगा। अभियान के दोरान इस प्रकार सृज्जित ईआईडी संख्या खोले गए बैंक खाते में रखे जाएगें। जब कभी यूआईडी संख्या सृज्जित की जाएगी ईआईडी को यूआईडी संख्या में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

1.8 यह प्रस्तावित हैं कि एलपीजी में डीबीटी सहित डीबीटी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में कारगर होगी। डीबीटी योजना की सूची अनुलग्नक–6 में संलग्न है।

1.9 ए. मैक्किन्से (2011) अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया हैं कि प्रत्येक भारतीय परिवारों को डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा स्वचलित सरकारी भुगतान से जोडने पर 23 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष की बचत होगी। इनमें से 80 प्रतिशत लीकैज में कमी का कारण होगी।

1.10 प्रत्येक खाताधारक को वित्तीय साक्षरता सत्र में यह बताया जाना चाहिए कि अपने धन एवं क्रेडिट सुविधा का प्रबंधन किया जाए।

1.11 प्रत्येक गांव में 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त होने तक बैंक को एक से अधिक कैम्प का भी आयोजन करने की आवष्यकता हो सकती हैं।

1.12 सभी स्व–सहायता समूह सदस्यों के लिए खाता खोलने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएन) के प्रयासों के साथ अभिसरण।

1.13 ग्राहकों को उनके छः माह तक बचत खाता/क्रेडिट इतिहास के संतोषजनक होने पर 5000/– रुपये तक का ओवरड्राफ्ट (ओडी) प्रदान किया जा सकता हैं। इस प्रकार की ओडी सुविधा क्रेडिट गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जो कि सरकार के पास निधि को सृज्जित करने के लिए योजना प्रस्तावित हैं। जो कि इस दस्तावेज के सेक्शन 7.4 में आगें उल्लेखित हैं। इन खातों के लिए ब्याज दर +2 प्रतिशत या 12 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से (क्रेडिट गारंटी निधि के लिए भुगतान फीस भी शामिल हैं।) प्रस्तावित हैं। सभी सरकारी लाभ की राशि इसी खाते में आएगी – ताकि ब्याज की चुकौती को सुकर बनाया जा सकें तथा खाते के निष्क्रिय हो जाने की संभावना को घटाया जा सकें।

1.14 बैंक अभियान आरंभ करने के तीन माह के भीतर बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों के संबंध में सही रिपोर्ट के लिए ज़मीनी स्तरीय सर्वेक्षण करेगा।

1.15 जब जिले के सभी परिवारों में बैंक खाता खोल लिया जाएगा। जिला अधिकारी यह प्रमाण–पत्र जारी करेंगे कि जिले में 100 प्रतिशत खाता खोल दिये गए हैं। इसी प्रकार से जिस राज्य में सभी जिले कवर हो गए हैं, उन्हें 100 प्रतिशत कवर्ड राज्य घोषित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना का क्षेत्र

प्रधानमंत्री जन–धन योजना का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हैं। जन–धन योजना देश की एक ऐसी योजना साबित हुई हैं, जिसने पूरे देश को प्रभावित किया हैं। इस योजना ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया हैं। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब वर्गो के बचतो को भी देश की वित्तीय समावेशन में सम्मिलित किया जाने का मौका प्राप्त हुआ है। इस योजना को महत्त्व पूर्ण इस लिये कहा जाता क्योंकि इस योजना के माध्यम से देश के गरीब वर्गो को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसी कारण से इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया गया। साथ ही गरीब वर्गो के बचतों से देश की आर्थिक स्थिति पर भी एक उचित प्रभाव पड़ा।

साहित्य की समीक्षा

मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान (मध्य–प्रदेष) (भोपाल 23 अगस्त 2014 शनिवार)

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के आधार पर प्रदेश के सभी परिवारों के बैंक खाते खाले जायेगें। प्रधानमंत्री जन–धन योजना में हर खाताधारी को रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा। छः माह पुरे हो चुके खाते पर पांच हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी। बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केन्द्र भी सक्रिय रुप से काम करना शुरु करेंगे।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना से लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच लाभ होगा। बचत की आदत बढ़ेगी साहुकारों पर निर्भर नहीं रहना होगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा से आपात स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस योजना के क्रियांवयन से जुड़ने वाले स्थानीय युवाओं को बिजनेस कोरसपोन्डेंट बनाकर रोजगार बीमा और पेंशन की राशि भी घर बैंठे खाते में आ जावेगी।

सोमाश्रय चक्रवर्ती और आनंद (28 अगस्त 2014 गुरुवार को बिजनेस स्टेन्डर्ड)

इस योजना के जरिये सरकार गरीबों को भी बैंक सेवा के दायरे में लाना चाह रहीं हैं। इस नई योजना में गरीब परिवारों के लिये एक

बैंक खाता एक डेबिट कार्ड और एक लाख रुपयें के बीमा कवर का वादा किया गया हैं। हालाकिं कई लोगों का मानना हैं, कि जो लोग आर्थिक रुप से अति पिछड़ें हैं। उनके लिये ये सुविधाएं अब भी पहेली ही बनी रहेगी क्योंकि इस राह पर कई समस्यायें हैं। और फिलहाल इसका कोई प्रामाणिक हल नजर नहीं आता हैं।

नेषनल न्युजरुम (28 अगस्त 2014 दैनिक भास्कर)

प्रधानमंत्री जन–धन योजना की सहायता से देश की आबादी का बडा हिस्सा अपनी बचत गुल्लक या घरों में प्रधानमंत्री जन–धन योजना की सहायता से देश की आबादी का बाडा हिस्सा अपनी बचत गुल्लक या घरों में रखता हैं। गाँव का पैंसा बैंकों तक नहीं पहुँच पाता हैं। इस योजना से गुल्लक की बचत बैंकों तक पहुँचगी तथा गाँव का पैंसा भी बैंकों तक पहुँचेगा। इस योजना से देश में 7 हजार बैंक शाखाऐं और 20 हजार ए.टी.एम. खुलेगें। ओवरड्राफ्ट सुविधा के भरपाई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड भी बनेगा। लिहाजा बैंकिग क्षेत्र को नुकसान नहीं होने दिया जायेगा। और इस योजना से 7.5 करोड लोगों का बीमा होगा, इसी के चलते माइक्रों इंश्योरेंस सेक्टर को भी फायदा होगा। इस सभी के कारण देश की अर्थ व्यवस्था पर उचित रुप से प्रभाव पड़ेगा।

आर. जगन्नाथन (29 अगस्त 2014 शुक्रवार दैनिक भास्कर)

प्रधानमंत्री जन–धन योजना में खोले गये नये खातों की सही संख्या काफी कम हुई हो तो जब तक वास्तविक लोगों के नए खाते नही खुल जाते अपेक्षाकृत गरीबों और बैंकिग सुविधा से अछुती आबादी को इसके दायरे में नही लाया जाता तब तक इसे सफल करार नही किया जा सकता। दूसरी और सरकार जनवरी 2015 तक खोले जाने वाले नए खातों पर एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा ओर 30,000 रुपयें तक का जीवन बीमा कवर की पेशकश कर रही हैं। यह खाता खोलने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन हैं।

देवाषिष बसु (2 सितम्बर 2014 मंगलवार बिजनेस स्टेन्डर्ड)

प्रधानमंत्री जन–धन योजना अब तक की सबसे बड़ी योजना हैं, यह बैंक खाता खोलने की दिशा में आक्रामक रुप से आगे बढ़ाया गया विचार हैं। इस योजना का अग्रेंजी अखबारों में पुरे पन्ने के विज्ञापन और टेलीविजन पर विज्ञापनों की श्रृंखलाओं के जरिये इस योजना का ऐलान किया गया। जिसके बारे में यह माना जा रहा हैं। कि व्यापक रुप से ग्रामीण परिवारों तक पहूँचेगी। यह स्पष्ट, दमदार, नई और समाज में बदलाव लाने वाली योजना का प्रदर्शन चामत्कारिक रहा।

देवाषिष बसु (2 सितम्बर 2014 मंगलवार बिजनेस स्टेन्डर्ड)

मोबाइल बैंकिग का इस्तेमाल इस परियाजना का दूसरा पहलू हैं। इस योजना की सहायता से मोबाइल बैंकिग सेवाऐं प्रदान करना चाहती हैं। यु.एस.एस.डी.(USSD) आधारित मोबाइल बैंकिग में नकदी हस्तांतरण बिल भुगतान, शेष राशि की जानकारी, व्यापारिक भुगतान आदि बुनियादी बैंकिग सुविधाएं मिलती हैं।

उपायुक्त डॉ. अंषज सिंह

(http://m.jagran.com/haryana/jhjjar-12077865.html)

प्रधानमंत्री जन–धन योजना जरुरतमंद लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कारगर कदम हैं। सभी परिवारो का बैक में खाता होता एक जरुरत हैं। बैंक खाते क माध्यम से लेन–देन होने से पारदर्शिता को बढावा मिला।

शोध का उद्देश्य

1. **सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों को सरल और सुनिष्चित रुप से समाज के गरीब वर्गों तक पहुँचाना**

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर समाज के हितों के लिये नई–नई योजना लागू करते रहते हैं। किन्तु समाज के गरीब वर्गो तक इन योजनाओं का लाभ सही रुप से प्राप्त नही होता हैं। जन–धन योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं जैसे – मनरेगा की मजदूरी मजदूरों के बैंको खातें में सीधे हस्तांतरित हो जायेगी, गैंस सब्सिडी की राशि भी ग्राहको के खाते हस्तांतरित होगी। इसी प्रकार अब वृध्द व्यक्तियों तथा विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन के लिए लम्बी लाइनों में लगना नही होगा। पेंशन का पैंसा भी पेंशन पाने वाले के खाते में सीधे हस्तांतरित किये जायेगा। जिसे किसी प्रकार के व्यक्ति को परेशान नही होना पडेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना के आधार पर सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों को सरल ओर सुनिश्चित रुप से समाज के गरीब वर्गो तक पहुँचाने के लिये इस याजना को शुरु किया।

2. **प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से गरीब वर्गो की बचतों को प्रोत्साहन देने और इन वर्गो को देष की मुख्य धारा से जोड़ने तथा साथ ही वित्तीय समावेषन के कार्य में सम्मिलित करना**

भारत में समाज के अमीर और मध्यम वर्गो के परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से बचत करते हैं। और देश के वित्तीय समावेशन में उनका योगदान रहता हैं। लेकिन देश में समाज के गरीब वर्गों की ना ही बचत का कोई मार्ग होता हैं। उनकी ओर से वित्तीय समावेशन के कार्य में कोई योगदान नही होता हैं। ये देश की मुख्य धारा से भी कटें हुए हैं।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से देश में समाज के गरीब वर्गो की छोटी–छोटी बचतें होती हैं। उसे बैंकों तक पहूँचाने में तथा ऐसे गरीब वर्गों को देश की अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय समावेशन के कार्य से जुड़नें का एक मार्ग मिला। देश के गरीब वर्गों की जो बचत घरों में गुलकों के रुप में जमा होती थी। वह अब बैंकों में जमा होने लगी। इस योजना के माध्यम से देश के शहरी गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य का निष्चित रुप से खाता होने से उन्हें बचत करने के लिये भी उचित प्रोत्साहन मिलता हैं।

इस मुख्य उद्देष्य की पूर्ति हेतु कुछ सहायक उद्देष्य भी निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार हैं

1. व्यक्तिगत रुप से समंकों (data) की प्राप्ति करना।
2. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के इन्दौर शहर में सही क्रियान्वयन संचालन तथा सिध्दान्तों का पालन हो रहा हैं अथवा नही इसकी जाँच करना।
3. इस योजना के आधार पर इन्दौर शहर के गरीब वर्गों को मिलने वाली सुविधाओं तथा समस्याओं का गहन अध्ययन करना।
4. इन्दौर शहर में इस योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना।
5. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का बैंको द्वारा पालन किया जा रहा हैं।

शोध की परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन के संबंध में मेरी यह परिकल्पना रही हैं कि:–

1. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से इन्दौर शहर के गरीब तबकों की बचतों को सुनिश्चित मार्ग नही मिला हैं।

2. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत खोले गये खातों के खाताधारकों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो रहा हैं।
3. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से इन्दौर शहर के गरीब तबकों के आर्थिक उत्थान में सहयोग संतोषजनक नही हैं।

शोध अध्ययन की विधि

शोध संरचना

यह शोध की प्रकृति खोज पूर्ण (Exploretri) हैं। जिसमें प्राथमिक संमकों पर आधारित जानकारी हासिल की जावेगी।

शोध का आकार

शोध अध्ययन के लिए इन्दौर शहर के गरीब वर्गों के परिवारों की संख्या लगभग 3 लाख हैं।

नमूने का आकार

इस शोध कार्य को करने के लिए इन्दौर शहर के गरीब वर्गों में से नमूने के आधार पर कुल 400 व्यक्तियों के समंको को प्राप्त किया गया हैं।

विष्लेषणात्मक उपकरण

शोध अध्ययन करते समय इसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जावेगा तथा इसमें ग्राफिकल विधि का प्रयोग किया जावेगा। जिससे यह पता चल सके कि इस योजना का इन्दौर शहर के गरीब वर्गों के आर्थिक उत्थान में कितना योगदान है।

निष्कर्ष

1. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से भी इन्दौर शहर के गरीब तबकों के व्यक्तियों की बचतों को सुनिश्चित मार्ग नही मिला हैं। यह परिकल्पना पूर्णतः सत्य साबित हुई हैं। क्योंकि इस योजना का लाभ व्यक्तियों तक पहुँचाया तो गया। परंतु उनके अशिक्षित तथा कम शिक्षा होने के कारण, आय में कमी होने के कारण तथा योजना की उचित जानकारी नही होने के कारण प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से गरीब तबकों के व्यक्तियों की बचतों को सुनिश्चित मार्ग नही मिला हैं।
2. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खोले गये खातों के खाताधारकों को अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो रहा हैं। यह परिकल्पना सत्य साबित हुई है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत गरीब तबकों के व्यक्तियों ने खाते तो खुलवा लिये। परंतु वे इस खाते को सुनिश्चित और सुचारु रुप से चला नही पाये, जिससे इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने वाले खाताधारकों को प्राप्त होने वाले लाभ प्राप्त नही हो रहे हैं।
3. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से इन्दौर शहर के गरीब तबकों के आर्थिक उत्थान में सहयोग संतोषजनक नही हैं। यह परिकल्पना सत्य साबित हुई हैं। जैसा कि प्रथम परिकल्पना में यह ज्ञात हुआ हैं। कि गरीब तबकों के व्यक्तियों की बचत को सुनिश्चित मार्ग नही मिला तथा दूसरी परिकल्पना के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ व्यक्तियों को प्राप्त नही हो रहे हैं। इन दोनों परिकल्पनाओं की सत्यता के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि इस योजना के माध्यम से इन्दौर शहर के गरीब तबकों के आर्थिक उत्थान में सहयोग संतोषजनक नही है।

निष्कर्ष रुप में यह प्रधानमंत्री जन–धन योजना गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ पहल हैं। इस योजना में आरंभिक त्रुटियाँ अधिक हैं। जन–जाग्रति का अभाव हैं। इन्दौर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में यह योजना अपने लक्ष्य को पूर्ण रुप से प्राप्त न कर सकी। इस कारण स्पष्ट हैं, कि शासन योजना लागू कर उसे जमीनी मूर्त देने में सफल न हो सका। गरीबों को दैनिक आवश्यकताओं के उपरांत बची राशि को जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए खाते में लेन–देनों के साथ हो राशि जमाकर्ताओं की नियुक्ति की जाएं जो स्थायी स्थानों से नियमित धनराशि एकत्र कर बैंकों में जमा कर सके। इन्दौर में जितने भी बैंक खाते प्रधानमंत्री जन–धन योजना में खोले गये हैं, इन्हें उचित मार्गदर्शन के साथ नियमित संचालन की पहली आवश्यकता हैं।

सुझाव

1. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना को अधिक से अधिक सार्थक करने के लिए गरीब बस्ती को चिन्हित करना।
2. गरीब निरक्षरों को इस योजना से जोड़कर, उन्हें लाभ पहुँचाना।
3. मेले, हाट बाजार, गरीब बस्ती आदि स्थानों पर चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के बारे में समझाना।
4. दैनिक मजदूरी, स्वव्यवसाय से जुड़े गरीबों को प्रधानमंत्री जन–धन योजना द्वारा प्रदत्त बीमा की जानकारी देना।
5. घरों में काम करने वाली सहायिका, सड़क स्वच्छ करती महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री जन–धन योजना की उपयोगिता को उचित ढ़ंग से समझाया जाये।
6. इन्दौर क्षेत्र की छोटी–छोटी जगहों पर प्रधानमंत्री जन–धन योजना पर पैनी दृष्टि रखकर जारी किया जाये।
7. प्रधानमंत्री जन–धन योजना में हो रही अनियमितता को दूर कर भ्रष्टाचार को रोका जाये।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना में प्राप्त होने वाले दुर्घटना बीमें की जानकारी हितग्राही के साथ परिवार वालों को भी दी जाये।
9. प्रधानमंत्री जन–धन योजना परिवार के प्रत्येक लघु कमाईकर्ता के लिए हो, तभी सभी का स्वतंत्र खाता खुल सके।
10. प्रधानमंत्री जन–धन योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों को कम से कम कागजी कार्यवाही की जाये।
11. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार आर्थिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों में करना। जिससे गरीब वर्गों के व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान हो सके।
12. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहित करना और इस योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए।
13. प्रधानमंत्री जन–धन योजना का समाज के गरीब वर्गों को पूर्ण ज्ञान हो इस हेतु सरकार द्वारा इस योजना में साक्षरता पर जोर दिया जाना चाहिए।
14. प्रधानमंत्री जन–धन योजना का कम शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो सके, इस पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना आवश्यक हैं।
15. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के आधार पर प्राप्त होने वाले लाभ को छोड़ने के लिये शहर के सक्षम व्यक्तियों को आग्रह करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसके आधार पर गरीबों को इस योजना का लाभ और अधिक उचित रुप से प्राप्त हो सकें।
16. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना को मजदूरी करने वाले और नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिये इस योजना को और अधिक महत्वाकांशी बनाना चाहिए।
17. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खुलवाने वाले गरीब वर्गों के व्यक्तियों को ऑवरड्राफ्ट की सुविधा कैसे प्रदान होगी।

इसकी प्रक्रिया का भी ज्ञान दिया जाये जिसे गरीब वर्गों को आसानी से बैंक ऑवरड्राफ्ट प्राप्त हो सके।

18. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (बी.एस.बी.डी.ए.) खुलवाने के लिए न्युनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती हैं। सरकार द्वारा इसकी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
19. बैंको और बैंक प्रतिनिधियों को योजना के नियमों के पालन करने हेतु लिये सरकार द्वारा सख्ती से आदेश दिया जाना चाहिए।
20. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत खुलवाये जाने वाले खातों के प्रकारों की जानकारी प्रदान करवाई जानी चाहिए। जिससे की गरीब वर्गो के व्यक्तियों को कौन सा खाता खुलवाना चाहिए, इसका निर्णय करने में सहायता प्रदान हो सके।
21. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले दुर्घटना बीमा की जानकारी तथा साथ ही यह बीमा किस कार्ड के उपयोग करने पर कवर होता हैं, इसकी भी जानकारी प्रदान करवाई जानी चाहिए।
22. खाताधारको को इस दुर्घटना बीमें की राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जानी चाहिए।

सीमायें

प्रधानमंत्री जन–धन योजना का समाज के गरीब वर्गों (तबकों)के आर्थिक उत्थान में योगदान विषय पर शोधकार्य करने हेतु विशेष रुप से इन्दौर शहर को लिया गया हैं। क्योंकि इन्दौर शहर में उच्च स्तरी और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के बैंक खाते होते हैं, परंतु समाज के गरीब वर्गों के व्यक्तियों का बैंक में न तो खाता होता हैं, और न तो वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। इस शोध कार्य के माध्यम से यही खोजने के लिए इन्दौर शहर को चिन्हित किया गया हैं, कि समाज के गरीब वर्गों को इस योजना का ज्ञान हैं, कितने व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा हैं तथा साथ ही साथ ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में जानते हैं।

संदर्भ सूची

1. प्रधानमंत्री जन–धन योजना की Hand Books
2. GJMS Research Journal
3. Dainik Bhaskar News paper.
4. Business standard News paper
5. Money Bhaskar.com
6. BS hindi,com
7. www.financialservices.gov.in
8. www.financialservices.gov.in22 अगस्त 2014
9. भोपाल 23 अगस्त 2014 शनिवार
10. बिजनेस स्टेंडण्र्डस 28 अगस्त 2014
11. 28 अगस्त 2014 गुरुवार को बिजनेस स्टेन्डर्ड
12. 28 अगस्त 2014 दैनिक भास्कर
13. 29 अगस्त 2014 शुक्रवार दैनिक भास्कर
14. 29 अगस्त 2014 शुक्रवार दैनिक भास्कर
15. सितम्बर 2014 मंगलवार बिजनेस स्टेन्डर्ड
16. सचिव भारत सरकार)
17. m.jagran.com/haryana/jhjjar-12077865.html
18. कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर
19. महानगर पालिका इन्दौर
20. आंगनवाड़ी, शेखर नगर क्षेत्र इन्दौर
21. आंगनवाड़ी, गांधी नगर क्षेत्र इन्दौर
22. नगर पालिक निगम, राजमोहल्ला झोन इन्दौर
23. आंगनवाड़ी, हरिजन कॉलोनी क्षेत्र इन्दौर